2019/00453

फर्द अहकाम

सत्यनारायण **बनाम** मोहंती

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर

केस संख्या 237/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		1/7/21 पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 2/8/21 को पेश हो।	
	02/08/21	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 07/09/21 को पेश हो।	
	7.9.21	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के क[illegible] कार्यवाही नही की जा सकी। प[illegible] दिनांक 5.10.21 को पेश हो।	
		05/10/21 राजस्थान सरकार [illegible] (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक [illegible] राज-1/2021 दिनांक 03-09-2021 [illegible] में पत्रावली प्रशासन गांवों के [illegible] 2021 में केम्प कोर्ट बराला में दिनांक 22/11/21 को पेश हो। पक्षकारों को केम्प नोटिस जारी हो।	
	सीताराम शर्मा रघोजीराम शर्मा पुत्र जगदीशप्रसाद नि. [illegible]	तेजकंवर	
		22/11/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प बराला में पेश हुई। प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4 स्वयं उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत बराला	

फर्द अहकाम

2019/00453

सत्यनारायण बनाम मोहरी

237/19

...क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	ने की है वादी के वाद पत्र पर प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तो वादी ने वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणा का दिनांक 18.6.14 को पेश किया गया था प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गयी। दिनांक 1.6.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में वादी व प्रतिवादी के उपस्थित होने पर वादी का वाद प्रारंभिक डिक्री किया गया तहसीलदार कसली को कुरेजात अंजाम के लिखा जाने के पश्चात भी आदिनांक तक कुरेजात प्राप्त नहीं हुए। प्रतिवादीगण सं. 2,3,4 ने आज प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश कर वाद पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण को उक्त प्रार्थना पत्र सुना गया। प्रतिवादीगण ने अवगत कराया कि प्रतिवादी सं. 1 मोहरी फौत हो चुकी है। वादी भी आज उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी सं 2,3,4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के साथ ~~अवलोकन~~ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात वाद ग्रस्त भूमि ख.नं. 151, 162 कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम हनुमान पुरा तह. कसली को प्रतिवादी सं. 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सत्यनारायण पुत्र गोविन्दनारायण महाजन बरवाड़ा से 1/2 हि.	5.9.03 को
	व शिवचरण पुत्र कन्हैयालाल व उमरावदेवी पत्नि कन्हैयालाल से 1/2 दिनांक 8.11.2002 को क्रय की जाकर प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा उक्त क्रय की गयी	

2019/00453

फर्द अहकाम

सत्यनारायण बनाम मोहरी

नाम न्यायालय

केस संख्या 237/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		~~अपने जीवन काल~~ उक्त वाद ग्रस्त भूमि ~~[illegible]~~ में से ख.नं. 162 रकबा ~~[illegible]~~ 9 बीघा 18 का हिस्सा 7/8 प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त खाते के नाम होने से प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से की हीरा देवी की सम्पूर्ण भूमि अपने हिस्से की हीरा देवी w/o सत्यनारायण, w/o जगदीश, राधा देवी मोटी देवी पत्नि [illegible] जाति [illegible] गांव [illegible] तहसील [illegible] के नाम वसीयत रजिस्टर्ड करा दी गयी। उक्त वादग्रस्त भूमि मोहरी देवी की स्व अर्जित सम्पत्ति है एवं स्व अर्जित सम्पत्ति को मोहरी देवी ने अपने जीवन काल में ही वसीयत करदी। प्रतिवादी सं. 1 ने जो वसीयत की है वह वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 की पत्नियों के नाम की है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 29.3.2017 को फौत हो चुकी है। वादी ने वाद ग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि बताकर बंटवारा का दावा पेश किया है जो कि विधि अनुरूप नहीं है। तथा प्रतिवादी सं. 1 को फौत हुए करीब 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया है वादी ने आदिनांक तक प्रतिवादी सं. 1 का वारिसान मुकाम का पता पेश नहीं किया है जिससे भी दावा अबेट हो गया है। तथा प्रतिवादी सं. 1 ने ख.नं. 151 में अपने हिस्से की भूमि का बयान अपने जीवन काल में ही कर दिया था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा तथा ख.नं. 162 रकबा

फर्द अहकाम

सत्यनारायण बनाम मोहरी 2019/00453

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

237/19

आज्ञा या र्वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम हनुमानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के मध्य हिस्से में वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय शुदा भूमि का विभाजन का दावा पेश किया है प्रतिवादी सं. 1 फौत हो चुकी है प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपने हिस्से की ख.नं. 162 की वसीयत व ख.नं. 151 की अपने हिस्से की भूमि का अपने जीवन काल में ही बेचान किये जाने से एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अवैध भी हो जाने से वादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में चाहे गये रिलीफ दिया जाना विधि सम्मत प्रतिवादी सं. 2,3,4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 1511 सीपीसी स्वीकार कर नहीं है अतः वादी का वाद विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। हाजर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 22.11.21 को यह निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बरखेड़ा में खुले आम में सुनाया गया। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर , मुकाम बस्सी, जिला जयपुर बइजलास

पीठासीन अधिकारी- शिवचरण शर्मा आर0ए0एस

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

वादी	प्रतिवादीगण
[illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible]	1 [illegible] पत्नि [illegible]
[illegible]	2 [illegible] पुत्र [illegible]
तह. बस्सी जिला जयपुर	3 [illegible] पुत्र [illegible]
	4 [illegible]
	5 तह. बस्सी
	6 उप पंजीयक बस्सी

दावा

अन्तर्धारा धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

237 19

[illegible] मुकदमा [illegible] ACM [illegible]

प्रतिवादीगण बिनजाबित मुद्दई बकम [illegible] बिनजाबित मुद्दालेह [illegible]

[illegible]

ख.न. 151 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा व ख.न. 162 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा [illegible] पुत्र [illegible] तह. बस्सी जिला जयपुर के [illegible] प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा [illegible] के द्वारा [illegible] भूमि के [illegible] प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा अपने [illegible] ख.नं. 162 [illegible] ख.नं. 151 [illegible] भूमि [illegible] [illegible] प्रतिवादी 2,3,4 [illegible] 151 [illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर बस्सी जयपुर

[illegible]

सहायक कलक्टर बस्सी जयपुर